स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 97, दिनांक 30–03–2025

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य 01.02 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 30–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को 01.02 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. सोयल पुत्र लाल मोहम्मद, निवासी ग्राम रम्पुरा, पोस्ट आधार भोगॉव, जनपद मैनपुरी **(चालक)**
2. अजीत कुमार सिंह पुत्र फिनारदा सिंह, निवासी लुडरू गाजा पट्टी, जिला मोहना, उड़ीसा **(सहचालक)**

बरामदगी :–

1– 01.02 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रूपये)।

2– 01 अदद कंटेनर टाटा नं0 MH 01 EM 0093

3– 02 अदद मोबाइल फोन।

4– नकद 510/–रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

वाराणसी–कानपुर हाइवे रसूलपुर तिराहा, थाना क्षेत्र कोखराज, जनपद कौशाम्बी। दिनांक 30.03.2025 समय 02:45 बजे प्रातः।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 30–03–2025 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद कौशाम्बी के कोखराज क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की व्यापक स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य उड़ीसा से टाटा कंटेनर (06 चक्का) नं0 MH 01 EM 0093 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लोड करके वाराणसी–कानपुर नेशनल हाइवे से दिल्ली की तरफ जा रहे है। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी चन्दन भारती, प्रभन्जन पाण्डेय, सन्तोष

कुमार, किशन चन्द्र, आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम द्वारा रसूलपुर तिराहा थाना क्षेत्र कोखराज जनपद कौशाम्बी के पास उक्त कन्टेनर को रोककर तलाशी ली गयी तो Cashew Kernels के कार्टून के डिब्बो के नीचे भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) छिपाकर रखा हुआ पाया गया, जिस पर दोनों तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका अवैध मादक पदार्थ तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये उड़ीसा राज्य से गॉजा लाकर दिल्ली व उसके आस पास के विभिन्न जनपदों में ऊँचें दामों में बेचते है। इस गिरोह में राजन सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी कटरा बांगरमऊ जिला उन्नाव भी शामिल है, जिसके साथ मिलकर यह लोग कई वर्षों से अवैध गांजे की तस्करी का काम करते आ रहे है। राजन सिंह द्वारा रायगढ़ा उडीसा राज्य से कन्टेनर में Cashew Kernels के कार्टून के डिब्बो के नीचे अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लोड कराया था, जिसे लेकर यह लोग दिल्ली जा रहे थे। इसके पूर्व भी इनके द्वारा कई बार अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) सप्लाई किया जा चुका है। इस काम में जो भी मुनाफा होता है वह आपस में बराबर–बराबर बॉट लेते है। गॉजे को समय से पहुॅचाने के एवज में इन्हें 10–10 हजार रूपये अलग से दिये जाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी में मु0अ0सं0 128/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।